तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 34/2024 बजानवान शरीफा बनाम लियाकत अली वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अजीतसिंह राजावत आर ए एस

आदेश

दिनांक 01.08.2024

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री कुन्दनसिंह चौहान, श्री हरीश सोनी
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री नृसिंह सोलंकी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दवाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उभयपक्षकारान के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपीलांटस के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है तो अपीलांटस को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटस के पक्ष में है। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलकर्ता स्वयं द्वारा अपने पिता रमजान क देहान्त दिनांक 14.12.1993 के समय अपने भाई लियाकत अली के नाम नामान्तकरण भरने एवं माता का दिनांक 07.08.2003 के देहान्त के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पश्चात अपना हिस्सा की भूमि के संबंध में दिनांक 24.03.2004 को एक सहमतिपत्र निष्पादित कर दिया कि आप लियाकत अली उक्त खसरा की भूमि का बैचान कर सकते है जिसमें मेरी तरफ से कोई आपति नहीं होगी तथा न ही भविष्य में मै व मेरी ओलाद किसी प्रकार का उस पर ऐतराज करेगें। उत्तरदाता संख्या 03 रिकॉर्डेड खातेदार है रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी सूरत में स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश से रेस्पोडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेसपोडेंटस के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदन में पारित किया गया है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे। उत्तरदाता के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:—RRT 2018(1) Page 692, RRT 2003(1) Page 382, RRT 2009(2) Page 1398, RRT 2013(1) Page 415, RRT 2013(1) Page 123, RRT 2005(2) Page 858

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना—पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी का सदभाविक क्रेता रिकॉर्डेड खातेदार है रिकॉर्डेड खातेदार को स्थगन से बाधित करते है तो रेस्पोडेंटस अपने खातेदारी अधिकारों के उपभोग एवं उपयोग से वंचित हो जायेगा। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट द्वारा पेश अपील खारिज की जाती है तथा हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2024 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

01.08.24

(अजीतसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर